तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज
	प्रहलादराम V/s सरकार 41/20
	क्षेत्राधिकार तहसीलदार का है।" विद्वान वकील ने नियमो एवं काश्तकारी कानून से अनभिज्ञ काश्तकार को वाद प्रस्तुत करवा दिया, जबकि यह कार्य सामान्य रूप से एक या दो दिवसीय प्रक्रिया में कामलिय तहसीलदार में सम्पन्न हो सकता था। अतः वाद इस हिदायत के साथ खारिज किया जाता है, कि आईन्दा विद्वान अधिवक्ता तहसील के कार्य संबंधित क्षेत्राधिकार वाले तहसीलदार से करवावे। साथ ही रीडर पेशकार नायब तहसीलदार जायल काश्तकारों के नाम एवं जमीन के खसरा नं. नोट कर भू. अ. निरीक्षक एवं संबंधित पटवारी हल्का को देवे ताकि काश्तकारों का बंटवारा अविलम्ब हो सके। पत्रावली क्षेत्राधिकार के बाहर होने एवं कानून द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर